4310/17

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 972168

Sanjay Ku

(ओउम नमः शिवाय)

किस्म दस्तावेज	–	बैनामा
भूमि का प्रकार	–	आराजी / कृषि भूमि
वार्ड / परगना	–	तहसील सदर जिला आगरा।
मौहल्ला / ग्राम	–	मौजा **बाईपुर मुस्तकिल** तहसील व जिला आगरा
सम्पत्ति का विवरण	–	एक किता आराजी संकमणीय भूमिधरी वाकै मौजा **बाईपुर मुस्तकिल** तहसील सदर जिला आगरा की खाता स **422** व खसरा सं· **1517 मि0** रकवा **0.1150 हैक्टेयर में 1/2भाग 0.0575 हैक्टेयर में से 37 प्रतिशत यानी 0.0213** हैक्टेयर का विकय किया जा रहा है
विक्रीत क्षेत्रफल	–	**0.0213** हैक्टेयर
अन्य विवरण	–	विक्रीत आराजी मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है व विक्रीत आराजी पक्के मार्ग के सहारे स्थित है।

रवीन्द्र कुमार वर्मा

Sanjay Kumar Verma

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 972169

(2)

पेड़ो का मूल्यांकन	–	नहीं
कुआ/बोरिंग/अन्य	–	नहीं
प्रतिफल की धनराशि	–	4,00,000 रूपये
सरकारी मालियती	–	4,26,000 रूपये
सर्किल रेट आराजी	–	2,00,00,000 रूपये प्रति हैक्टेयर जो श्रीमान उपनिबन्धक कार्यालय प्रथम सदर आगरा के यहां भाग सं. 2 (ख) 1 पृष्ठ 19 क्रमांक 4 कॉलम 4 पर दर्ज है।
देय स्टाम्प	–	30,000 रूपये
वाकै/स्थित	–	मौजा **बाईपुर मुस्तकिल** तहसील सदर जिला आगरा

आराजी के अन्तरण से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27(एक) का कोई उल्लंघन नही हो रहा है क्रेता पुरुष होने के कारण बैनामे के नियमानुसार 7 प्रतिशत का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। विक्रीत आराजी भाग सं. 2(क)(I) के किसी उल्लखित मार्ग पर स्थित नहीं है व पूर्व में कोई इकरारनामा नहीं किया गया है। उपरोक्त बैनामें में विक्रेता प्रथमपक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष अनसूचित जाति व जनजाति के सदस्य नहीं है। उक्त आराजी में धारा 143 जमीदारी विनाश अधिनियम के अर्न्तगत आबादी घोषित नही हुई है।

रवीन्द्र कुमार वर्मा Sanjay Kumar S. Verma

12 JUL 2012

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 972170

नाम विक्रेता प्रथमपक्ष की संख्या एक:–

रविन्द्र कुमार बंसल पुत्र श्री रमेश चन्द्र बंसल निवासी:– 6 गोपालकुन्ज बाईपास रोड हरीपर्वत वार्ड तह0 व जिला आगरा।

प्रथमपक्ष

एवं

नाम क्रेता द्वितीयपक्ष की संख्या एक :–

संजय कुमार वर्मा पुत्र श्री फूल चन्द्र वर्मा निवासी:– 1089 / 90 सैक्टर 4आर आवास विकास कालौनी सिकन्दरा योजना लोहामण्डी वार्ड तह0 व जिला आगरा ।

द्वितीयपक्ष

रवीन्द्र कुमार बंसल

Sanjay Kumar Verma

12 JUL 2012

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 972171

सम्पत्ति विवरण :-

जो कि एक किता आराजी संकमणीय भूमिधरी वाकै मौजा **बाईपुर मुस्तकिल** तहसील सदर जिला आगरा जिसकी खाता संख्या **422 व खसरा संख्या 1517 मि0** रकवा **0.1150 हैक्टेयर में 1/2भाग यानी 0.0575 हैक्टेयर में से 37 प्रतिशत यानी 0.0213 हैक्टेयर** ।

विदित हो कि खसरा **1517मि0 रकवा 0.1150 हैक्टेयर में विकेता प्रथमपक्ष 1/2भाग यानी 0.0575 हैक्टेयर** के सकमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखिल चले आते है व अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार नही है और उपरोक्त आराजी आज तक हर प्रकार के ऋण-विक्रय-दान-जमानत-मोर्गेज आदि से पूर्णतः पाक व साफ है व मुझ प्रथमपक्ष का नाम सरकारी राजस्व अभिलेखों में वहैसियत स्वामी के 1/2भाग पर दर्ज है। लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर व बिना बहकाये व बिना सिखाये व बिना दबाव किसी नाजायज के व बिना खाये - पीये किसी मादक पदार्थ के उपरोक्त आराजी व रकबई **0.0213 हैक्टेयर** मजकूर को विल एवज मु0 **4,00,000** रूपये **(चार लाख रूपये)** जिसके आधे मु0 **2,00,000** रूपये **(दो लाख रुपये)** होते है मैं बदस्त **संजय कुमार वर्मा** पुत्र श्री फूल चन्द्र वर्मा उपरोक्त क्रेता द्वितीयपक्ष को वैयकतई किया और बेच दिया तथा कीमत का कुल रूपया नगद समक्ष गवाहन के प्राप्त कर लिया है इस प्रकार कीमत का कुल रूपया प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर लिया है। जिसका प्रथमपक्ष विक्रेता पाना स्वीकार करते है। अब कुछ लेना व पाना शेष नही रहा है और ना ही आयंदा होगा।

Sanjay Kumar Verma

12 JUL 2012

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 972172

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत आराजी मजकूर पर प्रथमपक्ष ने द्वितीय पक्ष का करा दिया तथा द्वितीयपक्ष को हक व अधिकार है कि वह उक्त आराजी पर जिस प्रकार चाहे कास्त करें व लगान अदा करे तथा वक्त जरूरत रहन वैय हिवा–विक्रय आदि जो चाहे सो करें तथा अपने नाम का दाखिला खारिज जरिये बैनामा हाजा के मालिक दर्ज करा लेवे। विक्रीत आराजी की भूमि नजूल व राजकीय अस्थान की सम्पत्ति नही है और ना ही राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित किया गया है और ना ही कोई मुआवजा लिया गया है।

लिहाजा उक्त आराजी पर प्रथमपक्ष का कब्जा व दखल वाकी नही रहा है। प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष का कब्जा दखल करा दिया सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये है द्वितीय पक्ष जो चाहे सो करें । अगर भविष्य में कोई वारिस या दावेदार विक्रेता प्रथमपक्ष का खानदानी या गैर खानदानी या कानूनी किसी प्रकार का उक्त आराजी मजकूर में पैदा होकर कोई दबाव झगड़ा खरीददार द्वितीय पक्ष से करे और उसकी वजह या किसी दीगर वजह से नुक्श कानूनी से जुज या कुल कब्जा खरीददार द्वितीय पक्ष से निकल जावे तो ऐसी सूरतों में कुल जबावदेही व जिम्मेदारी विक्रेता पक्षम पक्ष व उनके वारिसानों की होगी । तथा कोई उज्र व एतराज नही होगा । विक्रीत आराजी में पेड़, कुआ, बोरिंग, आबादी नहीं है। विक्रीत आराजी में तथा उसके आस–पास 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है तथा कृषि प्रयोजनार्थ ही विक्रय की जा रही है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य नही है।

रवीन्द्र कुमार वर्मा Sanjay Kumar Verma

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 972173

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सदर रहे और समय पर काम आवे तहरीर दिनांक **12.07.2012** व मसौदा **महेश चन्द्र राठौर** एडवाकेट तहसील सदर जिला आगरा। दस्तावेज हाजा दोनो पक्षों के कथनानुसार टाईप किया गया है दस्तावेज हाजा पर चस्पा फोटो व हस्थाक्षरों की शिनाख्त गवाहों ने की ।

रवीन्द्र कुमार वर्मा Sanjay Kumar Verma

Mahesh chand

गवाह :—महेश चन्द्र राठौर (एडवोकेट) सदर तहसील आगरा।

गवाह:—दिवाकर सोनी पुत्र श्री सत्यप्रकाश सोनी निवासी:— जगन काम्पलैक्स पश्चिमपुरी आगरा

Mahesh chand
महेश चन्द्र राठौर
(2150)

स्टाम्प विक्रय की तिथि 62 / 12-7-2012

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible] — 60 —

स्टाम्प की धनराशि 5000

[illegible] नं०-2

[illegible] मार्च-2016

तह० एत्मादपुर, (आगरा)

आज दिनांक **22/08/2012** को

वही सं **1** जिल्द सं **7954**

पृष्ठ सं **361** से **374** पर कमांक **4310**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मेवालाल पटेल

उपनिबन्धक (प्रथम)

आगरा सदर

22/8/2012

SITE PLAN OF AGRI LAND ON KHN· 1517(M)
AT MAUZA BAI PUR MUSTQUIL TEHSIL &
DISTT AGRA
SELLER SRI RAVINDRA KUMAR BANSAL
PURCHASER SRI SANJAY KUMAR VERMA

SHOWN IN RED COLOUR
TOTAL AREA. 0.0213 HECTAR

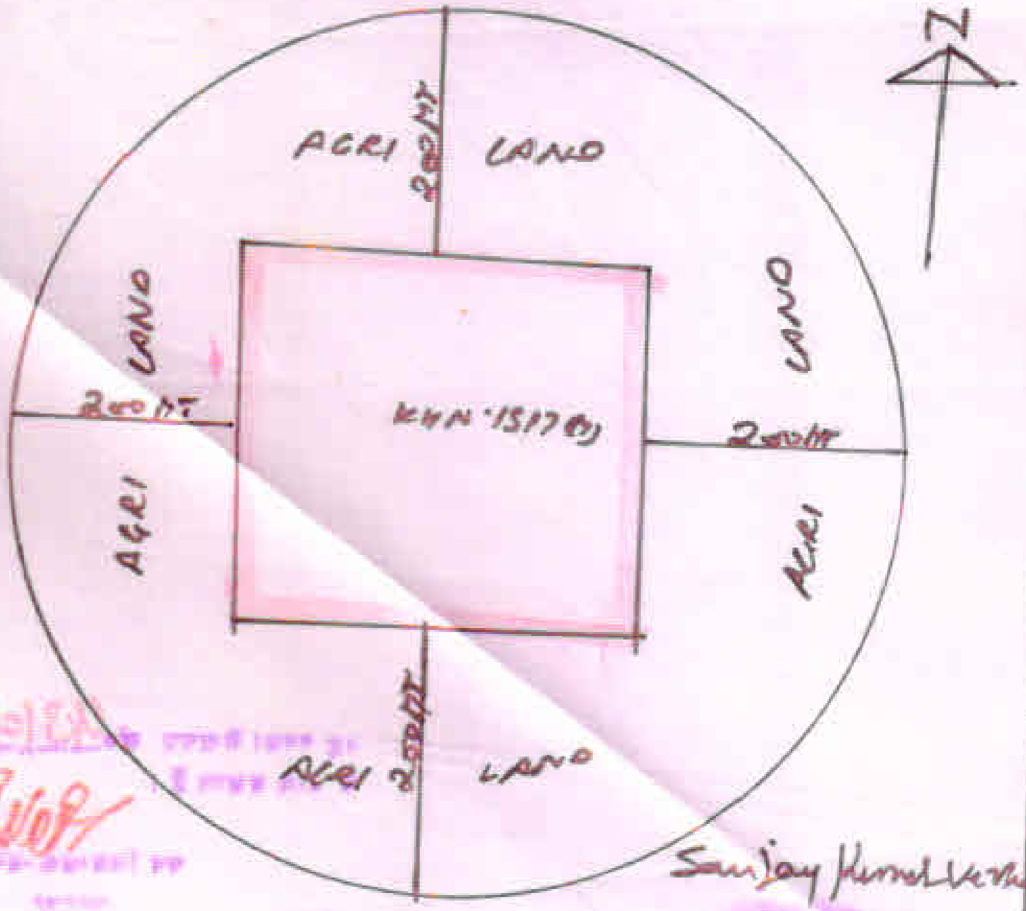

Sanjay Kumar Verma

DM Sadar Tehsil, Agra